

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व, भादरा
(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)
पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0 ए0 एस0

उपनाम


वकील ~~श्रीमत्प्रमोद पुनपराराज पाठि~~ बनाम ~~हस्तापुत्र परमारज पाठि गेववाल~~
~~गेववाल पाठि गेववाल निःक्षोपातिज~~ आदि
दावा बाबत :- 88 RTACT
मुकदमा नम्बर :- 141/19
निर्णय दिनांक :- 13/12/21

वादी की ओर से वकील ~~भुन्शीराज जोषामा~~ की व प्रतिवादीगण की ओर से वकील ~~हशुराम जोषारा~~ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13-12-21 को पुत्र शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

~~भुताविड राजीनामा रोरी मौजा खोतपातिपर उखसरा~~
~~म० 56 बी 0.857 है०, खसरा म० 56 बी 0.759 है०~~
~~कुत 1.606 है० भूमि में फरमाराम के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से~~
~~फरमाराम अ वाग उत्तगजन दिया जाकर वादी व प्रतिवारी म०~~
~~1.75 बी बहिस्सा वरण के अनुसार स्वार्थता दाखला द्यावि~~
~~मिने जाते हैं बूटि प्रतिवारी म० उहा 5 ने अपना 88 हिस्सा~~
~~वादी व प्रतिवारी म० 1.75 के पक्ष में बाग कुत कुत कुत~~
~~दिया है. हमतिर बाग मिने गये हिस्से पर पंजीयन कुत~~
~~अस कुत व धवि भूमि लैठ रदन है तो रदन कुत वी व~~
~~उपरोक्तानुसार राजस्व रिजेंडे कुत मिने जाके।~~

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


श्रीमति शकुन्तला चौधरी
(आर0 ए0 एस0)
उपखण्ड अधिकारी भादरा
हनुमागढ़